न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह।

जमाबन्दी रद्धवाद संख्या– 01/2019–20
अंचल अधिकारी, बेंगाबाद बनाम विनोद कुमार

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई
25.05.2023	यह वाद अंचल अधिकारी, बेंगाबाद द्वारा वाद संख्या–01/2019–20 कोडरमा–गिरिडीह रेलवे लाईन निर्माण (विविध) से संबंधित वाद में जमाबन्दी रद्ध करने हेतु भेजे गये अभिलेख के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए इस वाद के विपक्षीयों को नोटिस निर्गत किया गया जिसमें से प्रतिवादी संख्या 05 (बुधन सोनार) के भतीजा विनोद कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। **विपक्षी सख्य्या 05 की ओर से विनोद कुमार ने अपने लिखित तर्क में कहा है कि :–** 1. वादगत खाता संख्या–31 से संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा आदेश फलक में संधारित इसी खाता के तीन प्लॉट 478, 479 एवं 112 के सभी रैयतों को उपलब्ध कागजातों जैसे–अभिप्रमाणित खतियान, अद्यतन मालगुजारी रसीद एवं भूमि दखल प्रमाण–पत्र (LPC) को देखकर मुआवजा भुगतान किया गया है। भू–अर्जन कार्यालय द्वारा बकास्त भूमि के सैकड़ों लागों को मुआवजा भुगतान किया गया है। 2. प्राप्त नोटिस में मुझसे खाता संख्या 122 से संबंधित	

कागजात मांगा गया है किन्तु मेरा दावा उक्त खाता संख्या 122 से संबंधित नहीं होकर खाता नं0 31 के प्लॉट नं0 112 से संबंधित है।

3. खाता संख्या 31 के प्लॉट संख्या 112 ग्राम–गादी के 0.97 एकड़ में से 0.87 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है तथा मैंने शेष भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायात पत्र दिया था जिससे नाराज होकर तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा मेरा जमाबन्दी रद्ध करने की धमकी दी गयी। तत्पश्चात मुझे जमाबन्दी रद्ध करने संबंधी नोटिस दिया गया जबकि मेरा जमाबन्दी रद्ध करने का कोई कारण नहीं है।
4. मेरे परदादा स्व0 बरजू सोनार स्वंय जमींदार थे जो मालगुजारी वसुल कर तत्कालीन राजा को दिया करते थे।
5. वादगत खाता की जमीन पर सैकड़ो वर्षो से हमारे पूर्वजों एवं अब हमलोगों का हक एवं कब्जा है। लगभग 45 वर्षो से अद्यतन मालगुजारी भुगतान करते आ रहें है। उक्त जमीन पर दर्जनों लोगों का घर बना हुआ है। कई खरीददारों द्वारा बगान एवं फैक्ट्री इत्यादि भी लगाया गया है।

अतः निवेदन है कि मेरा जमाबन्दी रद्ध नहीं कर मुझे बकाया मुआवजा भुगतान करने की कृपा की जाय।

आवेदक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्न दस्तावेज समर्पित किया गया है :–

1. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण हेतु मुआवजा भुगतान से संबंधित सामाचार पत्र

में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति।

2. अंचल अधिकारी, बेंगाबाद द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
3. शपथ पत्र की छायाप्रति।
4. क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रपत्र की प्रति।
5. भू–अर्जन कार्यालय, गिरिडीह द्वारा कोडरमा–गिरिडीह रेलवे लाईन निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी अधिनियम की धारा–37(2) के तहत आवेदक विनोद कुमार को दिये गये नोटिस की प्रति।
6. खतियान की छायाप्रति।
7. प्ंजी–2 की प्रति।
8. ल्गान रसीद की प्रति।
9. खाता संख्या 31 अर्न्तगत प्लॉट नं0 478 एवं 479 का मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश पत्र।
10. आधार कार्ड एवं बैक पासबुक की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी, बेंगाबाद द्वारा कोडरमा–गिरिडीह रेलवे लाईन निर्माण परियोजना (विविध) वाद संख्या–01/2019–20 से संबंधित पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है, कि मौजा–गादी, थाना नं0 50जी के अर्न्तगत खाता संख्या 31 प्लॉट नं0 122 रकवा 15.90 एकड़ भूमि बकास्त खाते की है जिसकी जमाबन्दी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 39 भोल्युम नं0–5 पर बुधन सोनार वगैरह पिता–भैरोलाल सोनार के नाम से दर्ज है। पंजी–2 के प्राधिकार कॉलम में जमाबन्दी कायम करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। अतः प्रतीत होता है कि दर्ज जमाबन्दी सरकार के आयुक्त एवं सचिव के पत्रांक 3965 दिनांक

14.10.2004 के द्वारा निर्गत परिपत्र से मेल नहीं रखता है। जिसके कारण उक्त जमाबन्दी को रद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

निष्कर्ष

आवेदक विनोद कुमार द्वारा दिये गये आवेदन उनके मौखिक बहस, उपलब्ध दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, बेंगाबाद द्वारा की गयी अनुशंसा से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा गिरिडीह–कोडरमा रेलवे लाईन निर्माण हेतु अंचल बेंगाबाद अर्न्तगत खाता संख्या 31, प्लॉट नं0 112 अर्न्तगत शेष 09.87 डी0 जमीन के रेलवे द्वारा अधिग्रहण से संबंधित बकाया मुआवजे के भुगतान की मांग की गई है जबकि पूर्व में उसी खाते की जमीन से संबंधित मुआवजा का भुगतान अन्य सभी रैयतों को किया जा चुका है।

अतः सामाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना, खतियान, पंजी–2, लगान रसीद, के आधार पर आवेदक विनोद कुमार को गिरिडीह–कोडरमा रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित बकाया 09.87 डी0 जमीन का मुआवजा भुगतान से संबंधित अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

25/5/2023 | 25/5/2023
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह। | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह।

Digitally signed by Satya Prakash
Date: 2023.07.05 13:52:42 +05:30
Location: 10.93.70.10